रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2004/आश्विन 28, 1926

No. 246] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2004/ASVINA 28, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2004

सं. 16-85/2003-एन आई-1.—दिनांक 16 अक्तूबर, 2003 के संकल्प संख्या 16-85/2003-एन आई-1/1 (डीडी) के तहत विकलांगता और पुनर्वास मामलों के संबंध में सरकार की सहायता करने और सलाह देने के लिए तथा इस संबंध में उसे अपनी सिफारिशें करने हेतु राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग गठित करने का संकल्प लिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, (1996 का संख्यांक 1), की धारा 57 (1) के अधीन गठित नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय के स्थान पर, यह आयोग गठित करने का निश्चय किया गया था जिसे निरसित करने का निर्णय लिया गया था।

तदनुसार, दिनांक 3 फरवरी, 2004 के आदेश संख्या 16-99/2003-एन.आई.-1 के तहत राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग गठित किया गया था। राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग की भूमिका और कृत्यों का पुनरीक्षण, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय को निरसित करने के निदेशों और नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 3(1) के अधीन गठित केन्द्रीय समन्वय समिति को सौंपी गई सलाहकारी भूमिका के आलोक में की गई है। इन तीन निकायों के कृत्यों की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकला कि राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति अयोग को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय और केन्द्रीय समन्वय समिति द्वारा पहले से ही किया जाता है। अत: यह निर्णय लिया गया कि इस राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति आयोग को समाप्त कर दिया जाए और दिनांक 3 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 16-99/2003-एन.आई.-1 के तहत गठित प्रथम आयोग को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है।

जयति चन्द्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 19th October, 2004

No. 16-85/2003-NI-I.— Vide Resolution No. 16-85/2003-NI-1/1 (DD) dated 16th October, 2003, it was resolved to constitute a National Commission for Persons with Disability (NCPD) with its headquarter at New Delhi to aid and advise the Government regarding disability and rehabilitation matters and to make recommendations to it in this regard. It was

decided to set up this Commission in place of Office of the Chief Commissioner of Disability (CCD) set up under Section 57(1) of The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995. (No. 1 of 1996) which was decided to be repealed.

Accordingly the National Commission for Persons with Disability (NCPD) was constituted *vide* Order No. 16-99/2003-NI-I dated 3rd February, 2004. The role and functions of National Commission for Persons with Disability (NCPD) have been re-examined in the light of directions for repealing the Office of the Chief Commissioner of Disability (CCD) and the advisory role entrusted to Central Coordination Committee set up under Section 3(1) of PWD Act, 1995. On review of functions of the three bodies, it has been concluded that the functions entrusted to National Commission for Persons with Disability (NCPD) are already being performed by the Chief Commissioner of Disability (CCD) and the Central Coordination Committee. It has, therefore, been decided to wind up the National Commission for Persons with Disability (NCPD) and the 1st Commission constituted *vide* Notification No. 16-99/2003-NI-I dated 3rd February, 2004 stands dissolved with immediate effect.

JAYATI CHANDRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.